

पत्रांक 1031 / 12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 16/1/2022
सेवा में, अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
कम्पकोट,
विषय - जनपद बागेश्वर में अशु से बसकूना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.4 है० वन भूमि में अतिरिक्त
एन० पी० वी० धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ : - सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई
दिल्ली का पत्र संख्या 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022।
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र कम में भारत सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में एन० पी० वी० की देय धनराशि के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। कि ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण जिनमें 06.01.2017 से पूर्व सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है तथा 06.01.2022 तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है, में एन० पी० वी० की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। (छाया प्रति संलग्न)

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालनार्थ के कम में उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा दिनांक 07.09.2015 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुए पाँच वर्ष पूर्ण होने के कारण एन० पी० वी० की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उक्त अवशेष धनराशि के मांग पत्र को ऑन लाईन कर नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क्र० सं०	मद	क्षेत्रफल	ई० को० क्लास	धनत्व	वर्तमान दर प्रति (लाख में)	जमा की जाने वाली धनराशि (लाख में)	जमा की गयी धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि (लाख में)
1	एन० पी० वी०	1.4 है०	5	0.3	1005210.00	14,07,294.00	11,83,000.00	2,24,294.00
कुल योग						14,07,294.00	11,83,000.00	2,24,294.00

स.अ.नं० / वन०/१५/७५५०
17.01.22
स.अ.नं० १५/७५५०

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर